फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/141) **मेसर्स जे.के.व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स बनाम मोहम्मद शेर खान के बजाय वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान व अन्य - वकील अपीलार्थी 2. श्री दिनेश शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** 1. मैसर्स जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स जरिये प्रोपराईटर प्रबन्धक निदेशक, जे.के.व्हाईट सीमेंट द्वारा पावर ऑफ एर्टोनी होकल श्री सुधीर क्षेत्रिय सीनियर जनरल मैनेजर, जे.के.व्हाईट सीमेंट, गोटन, जिला नागौर। **अपीलार्थी** 1. मोहम्मद शेर खान पिता गुलबाज, निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय- 1.1.तमन्ना बेगम पत्नि मोहम्मद शेर खां, निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ 1.2.मोहम्मद सईद खान पिता मोहम्मद शेर खां, निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ 1.3.मोहम्मद जावेद खान पिता मोहम्मद शेर खां, निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ 1.4.मोहम्मद जुनैद खान पिता मोहम्मद शेर खां, निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ 2. भूमिधारी तहसीलदार, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 272/2012 निर्णय दिनांक 21.05.2013 (अनवान मोहम्मद शेर खां बनाम जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 05.05.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 272/2012 निर्णय दिनांक 21.05.2013 (अनवान मोहम्मद शेर खां बनाम जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 के पुर्वाधिकारी श्री मोहम्मद शेर खान द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया कि वह खनन पट्टाधारी है और स्वीकृत लीज अनुसार चायना क्ले एवं रेड ऑकर का खनन व्यवसाय करता है। राजस्थान के खनिज विभाग द्वारा खनन व्यवसाय रॉ-मटेरियल के लिए खनन कार्य करने हेतु ग्राम बनस्टी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में अन्य आराजीयात के साथ आराजीयात संख्या 78, 74, 75, 80, 81, 126, 127, 132 भी लीज पर प्रदत्त की गई और वह खनन पट्टा अर्थात माईनिंग लीज वर्तमान में भी प्रभावशील है। वह लीज होल्डर होकर उसे अपने खनन कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता अपने खनन कार्य एवं उसके संबंधित सब्सिडरी परपजेज, सेफ्टी जोन, खान से निकले हुए ओवर बर्डन रिजेक्ट मलबा डालने एवं भण्डारन आदि करने हेतु भी आवश्यकता हैं। मैसर्स जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स के स्वामित्व की उक्त कृषि भूमि उसके माईनिंग लीज क्षेत्र में स्थित है और उसके आस पास भी उसकी माईनिंग लीज एरिया है और वहा माईनिंग कार्य जारी है। उसको (मो. शेर खान) को माईनिंग ऑपरेशन एवं अन्य सबसिडरी परपज हेतु उक्त भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है, अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स की खातेदारी की उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिए इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है। • अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा आवेदक श्री मोहम्मद शेर खान का आवेदन स्वीकार कर निर्णय अर्न्तगत धारा-89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/141) **मेसर्स जे.के.व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स बनाम मोहम्मद शेर खान के बजाय वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 21.05.2013 पारित किया।

उक्त आदेश दिनांक 21.05.2013 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ समक्ष अपील अन्दर मयाद पेश की गई। तत्पश्चात् राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की अनुपालना में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 06.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि ग्राम बनस्टी के आराजी नम्बर 73, 74, 75, 80, 81 प्रत्यर्थी-1 के माईनिंग क्षेत्र में नहीं है। उक्त आराजी अपीलार्थी कम्पनी के खनन क्षेत्र में है और अपीलार्थी का खनन कार्य जारी है। आराजी संख्या 126, 127 और 132 अपीलार्थी कम्पनी ने स्वयं अपने खनन कार्य हेतु क्रय की है और कोई भी भूमि खनन कार्य हेतु बिना खातेदार की अनुमति के नहीं दी जा सकती है, जब अपीलार्थी कम्पनी ने स्वयं इस क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु जमीन खरीदी है तो अन्य को यह जमीन देने को बाध्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार एवं खनन विभाग की जो संयुक्त टीम से मौका रिपोर्ट तलब की गई, वह रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई और उसमें गलत अंकन कर दिया कि अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। खनन हेतु भूमि लेने के संबंध में माईनिंग एक्ट एवं तत्संबंधी नियमों में जो प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया का प्रत्यर्थी द्वारा पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का कोई अन्वेषण नहीं किया कि क्या वास्तव में पिछले 13 वर्षों से खनन विभाग को सूचना देकर अपीलार्थी कम्पनी का कार्य जिस भूमि पर चल रहा ह, उसे भी प्रत्यर्थी-1 मो. शेर खान को दिलवाने का आदेश प्रदत्त कर दिया। उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में नही होने से इस पर राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होकर माईनिंग एक्ट लागू होने से सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैद्यानिक निर्णय पारित कर दिया। साथ ही जो मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, वह आसपास की अन्य जमीन की मुआवजा राशि से कम किया गया। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. आरआरडी 1997 पेज 45
2. एआईआर 1993 (एससी) 2585
3. आरआरडी 1989 पेज 263
4. आरआरडी 1963 पेज 257

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-1 के पुर्वाधिकारी व वारिसान खनन पट्टाधारी है और स्वीकृत लीज अनुसार चायना क्ले एवं रेड ऑकर का खनन व्यवसाय करते है। राजस्थान के खनिज विभाग द्वारा खनन व्यवसाय रॉ-मटेरियल के लिए खनन कार्य करने हेतु ग्राम बनस्टी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में अन्य आराजीयात के साथ आराजीयात संख्या 78, 74, 75, 80, 81, 126, 127, 132 भी लीज पर प्रदत्त की गई और वह खनन पट्टा अर्थात माईनिंग लीज वर्तमान में भी प्रभावशील है। वह लीज होल्डर होकर उसे अपने खनन कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता अपने खनन कार्य एवं उसके संबंधित सब्सिडरी परपजेज, सेफ्टी जोन, खान से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/141) **मेसर्स जे.के.व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स बनाम मोहम्मद शेर खान के बजाय वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निकले हुए ओवर बर्डन रिजेक्ट मलबा डालने एवं भण्डारन आदि करने हेतु भी आवश्यकता थी। मैसर्स जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स के स्वामित्व की उक्त कृषि भूमि उसके माईनिंग लीज क्षेत्र में स्थित है और उसके आस पास भी उसकी माईनिंग लीज एरिया है और वहा माईनिंग कार्य जारी है। उसको (मो.शेर खान) को माईनिंग ऑपरेशन एवं अन्य सबसिडरी परपज हेतु उक्त भूमि की अत्यन्त आवश्यकता होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स की खातेदारी की उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने लिए इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक था और तदनुसार आवेदन किया गया। जिस पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया और अपीलार्थी को मिलने वाले मुआवजा राशि का उचित निर्धारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट एवं उपपंजीयक चित्तौड़गढ़ से जिला दर निर्धारण समिति द्वाा अनुमोदित दर प्राप्त की गई और प्रत्यर्थी की माईनिंग लीज क्षेत्र की जानकारी हेतु तहसीलदार एवं खनि अभियंता से संयुक्त मौका निरीक्षण करा रिपोर्ट तलब की गई और उसके आधार पर एक विधिक निर्णय पारित किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावलियों के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रत्यर्थी-1 के पूर्वाधिकारी मोहम्मद शेर खान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा-89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 21.05.2017 पारित किया जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी मैसर्स जे.के.व्हाईट सीमेंट वर्क्स के अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना उज्र प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि अपीलाधीन निर्णय में अंकित वर्णिन से होती है। यह पाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वही तथ्य न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत किये गये है जो कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किये है, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष मोहम्मद शेर खान द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा-89 भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उप पंजीयक, निम्बाहेडा एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा से वांछित रिपोर्ट प्राप्त की गई। उप पंजीयक द्वारा उक्त भूमि की निर्धारित दर 11981/- प्रति ऐयर होना बताई गई परन्तु भूमि का खनन प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर का दुगुना 23962/- प्रति ऐयर से ग्राम बनस्टी की भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया। साथ ही तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संरचनाओं की कीमत का भी निर्धारण किया गया और समग्र रिपोर्ट के आधार पर नियमों के तहत भूमि का 4469813/- मुआवजा निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट में चस्पा मौके रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी कम्पनी के प्रतिनिधि वक्त मौका पर्चा उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किये जाने का अंकन मौतबिरान की उपस्थिति में किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वांछित रिपोर्ट सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गई, जिस पर आक्षेप किया जाना इस स्तर पर उचित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/141) **मेसर्स जे.के.व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स बनाम मोहम्मद शेर खान के बजाय वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं है।

लेख है कि मोहम्द शेर खान द्वारा आवेदन में अंकित किया कि आवेदन भूमि उसकी माईनिंग लीज क्षेत्र में स्थित है। उक्त तथ्यों की स्पष्ट वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा आवेदक की लीज तरमीम पटवार हल्का का मौका मिलान करने हेतु तहसीलदार एवं खनिज अभियन्ता की संयुक्त टीम का गठन किया। उक्त संयुक्त टीम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवेदित भूमि का रकबा 1.39 हैक्टेयर मोहम्मद शेर खान की माईनिंग लीज संख्या 5/97 में आना बताया। न्यायिक नजीर डी.एन.जे. 2020 पेज 303 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्वकर्मियों द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा यह उज्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लाई जा रही है, इसलिए इस पर माईनिंग एक्ट लागु होगा होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, न की राजस्व विभाग/न्यायालय का। अपीलार्थी कम्पनी का यह उज्र स्वीकार्य नहीं है।

प्रकरण में हम धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों को उद्दृत करना उचित समझते हैं जो निम्नप्रकार है -

89. Right of minerals, mines, quarries and fisheries- The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall have all powers necessary for the enjoyment of such a right.

(2). The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purpose subsidiary thereto including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. the staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways of tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

(3). If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines of quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub- section (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land affected and their objections have been heard and considered.

(4). If, in the exercise of the right herein referred to over any land, the right of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government of its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if his award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).

(5). No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.

(6). If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub saction (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as it were an arrear of land revenue.

(7). Any person who without lawful authority extracts of removes minerals from any mine of quary, the right of which vests in and has not been assigned by the

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/141) **मेसर्स जे.के.व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स बनाम मोहम्मद शेर खान के बजाय वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

State Government, shall without prejudice to any other action that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:

Provided that if the sum of calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding one thousand rupees as the Collector may impose.

जैसाकि हमारे द्वारा उपर संबंधित धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का वर्णन किया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जहां भी खनन सम्पदा का प्रश्न हो, उस पर राज्य सरकार का एकल अधिकार होता है तथा एकल अधिकार के सन्दर्भ में अथवा खनन से संबंधित धारा 89(2) से संबंधित गतिविधियों के लिए भूमि के सन्दर्भ में धारा 89(3) के तहत जिला कलक्टर को विशिष्ट रूप से अधिकृत किया गया है। खातेदारी अधिकारों को खनन के सन्दर्भ में सीमित करने का उक्त अधिनियम एवं धारा का उद्देश्य खनिज की महत्ता एवं उनसे होने वाली औद्योगिक, राष्ट्रीय विकास एवं रोजगार इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 89(3) के तहत जिला कलक्टर को इस प्रकार की खनिज अथवा सहसंबंद्ध गतिविधियों के लिए भूमियों के उपयोग के लिए अधिकारग्रहिता को अधिकृत किये जाने के लिए प्रावधान किये गये हैं। उक्त धारा 89(3) के परन्तुक में यह वर्णित किया गया है कि जिला कलक्टर द्वारा किसी अधिकारग्रहिता को इस प्रकार के अधिकार दिये जाएंगे। अधिनियम एवं संबंधित प्रावधानों के उपरोक्त विवेचन के बाद अब हम राजस्व रेकर्ड की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट आता है कि आवेदित कृषि भूमि के संबंध में धारा-89 के तहत कार्यवाही बाबत सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित तहसीलदार एवं उप पंजीयक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। साथ ही आवेदक की लीज तरमीम पटवार हल्का का मौका मिलान करने हेतु तहसीलदार एवं खनि अभियन्ता की संयुक्त टीम का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त कर लीज क्षेत्र में आने वाली भूमि की स्थिति ज्ञात कर धारा-89 तहत प्रावधित नियमों का पालन करते हुए विधिक निर्णय पारित किया गया।

न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1999 राजस्थान पेज 163 के पैरा 4, 5 में निम्नानुसार वर्णित किया गया है -

Sub section (5) Provides that no assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed. It is therefore; clear that the assignee of the State Govt. cannot enter the land without tendering the compensation determined under Section 89(4) unless previous sanction of the Collector is obtained by it. This means that such a person can enter the land and commence and carry on mining activities with prior permission of the Collector even when compensation has not been determined and paid.

5- In the present case the learned single Judge has also observed that when the mining lease is granted to the petitioners and the plaintiffs/ counter claimants interest can be safeguarded if the petitioners are saddled with the terms in consonance with Section 89 of the Act, that would be the best course to be adopted by the Courts. ….. …….In our view, in view of sub saction (5) of Section 89 it is not necessary that compensation should be determined and tendered in all cases before permitting the assignee to enter or occupy the surface land. All that is necessary is to obtain previous saction of the Collector to enter on or occupy the surface of the land before the compensation is determined and tendered.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवेदक जिसने भूमि का अधिकार ग्रहण करने के लिए आवेदन किया है, उसके बारे में जिला कलक्टर की पूर्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/141) **मेसर्स जे.के.व्हाईट सीमेन्ट वर्क्स बनाम मोहम्मद शेर खान के बजाय वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुमति होना आवश्यक है, यहां तक कि मुआवजे का विनिश्चयन नहीं हुआ हो अथवा उसका भुगतान भी नहीं किया गया हो तो भी जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति से अधिकारग्रहिता भूमि में प्रवेश कर कार्य प्रारम्भ कर सकता है अर्थात् अधिनियम की धारा 89 के तहत जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इस प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा भूमि में प्रवेश की अनुमति बाबत् अपना अभिमत व्यक्त कर दिया है, तद्नुसार अब इस भूमि के उपयोग, उपभोग के सन्दर्भ में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को निषिद्ध किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों में उक्त भूमि की मुआवजा राशि होना बताया है, परन्तु अपने कथनों के समर्थन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करता हो। इसके विपरित जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा संबंधित उप पंजीयक से उल्लेखित भूमि की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। अतः अपीलार्थी का भूमि की दर के संबंध में प्रस्तुत कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा आवेदक मोहम्मद शेर खान के आवेदन अन्तर्गत धारा-89 भू-राजस्व अधिनियम पर पूर्ण विचार विश्लेषण उपरान्त संबंधित अधिकारिगण से वांछित रिपोर्ट प्राप्त कर नियमों के परिपेक्ष्य में निर्णय दिनांक 21.05.2013 पारित किया गया, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण से प्रासंगिक नहीं होने से चस्पा नहीं होते है।

परिणामतः **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 21.05.2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर